

Regarding Air Quality Index in Delhi

श्रीमती कमलजीत सहरावत (पश्चिम दिल्ली) : महोदया, मैं आपका ध्यान दिल्ली की एक गम्भीर समस्या की तरफ दिलाना चाहती हूँ। दिल्ली का वायु प्रदूषण विशेषकर सर्दियों के दौरान एक सतत मुद्दा रहा है। कारकों के संयोजन के कारण दिल्ली का एक्वआई अवसर गम्भीर स्तर तक बिगड़ जाता है। पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली में जीवन की गुणवत्ता बहुत खराब हो गई है। दिल्ली की वर्तमान सरकार बढ़ते हुए वायु और जल प्रदूषण के स्तर के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं है और हर साल इस सार्वजनिक चिंता को रोकने में विफल रही है। दिल्ली में बहुत चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के सभी लोग जहरीली हवा के संपर्क में हैं, जिससे सभी को गम्भीर स्वास्थ्य खतरे हो रहे हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन की गुणवत्ता का अधिकार अर्थात् प्रदूषणमुक्त जल और वायु का अधिकार भी सुनिश्चित करता है। इसलिए अपने नागरिकों को यह अधिकार सुनिश्चित करना हमारी प्रमुख जिम्मेदारी है। दिल्ली की वर्तमान सरकार से दिल्ली की इस खतरनाक स्थिति पर काबू पाने की कोई उम्मीद नहीं है। दिल्ली का वायु प्रदूषण एक जटिल मुद्दा है, जिससे विभिन्न स्रोतों जैसे वाहनों के उत्सर्जन को कम करना, औद्योगिक उत्सर्जन को नियंत्रित करना, निर्माण धूल का प्रबंधन, आसपास के राज्यों में पराली जलाने से रोकना, अपशिष्ट प्रबंधन आदि को संबोधित करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

आदरणीय महोदया, दिल्ली की सरकार हर समस्या का समाधान सिर्फ मार्केटिंग करके करना चाहती है। इसकी वजह से आज दिल्ली में स्थिति गम्भीर है। मैं कहना चाहती हूँ कि दिल्ली की हालत यह है:

दीवारों पर लगे हैं इतने इश्तेहार

कि नजर ही नहीं आती कोई भी दरार,

झूठे वादों को सुन-सुनकर सोचते हैं हम,

काश सच में आती दिल्ली में यह बहार !?

आज दिल्ली जिस स्थिति में पहुंच गई है, मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करती हूँ कि वह इस चिंताजनक स्थिति का संज्ञान ले और इस मुद्दे का स्थायी समाधान निकाले, क्योंकि दिल्ली सरकार इसको करने में पूर्णतया विफल है।

माननीय सभापति : मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करती हूँ कि केवल एक मिनट में अपने विषय पर चर्चा करें, जिससे अधिक से अधिक सदस्य यहां अपनी बात रख सकें।

श्री के. सी. वेणुगोपाल जी।